न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 24/2021
प्रविष्टि दिनांक 22–2–2021

1–औमप्रकाश पुत्र नाथू खटीक आयु 45 वर्ष निवासी डांगरथल तह0 निवाई जिला–टोंक
2–गजानन्द पुत्र नाथू खटीक आयु 40 वर्ष निवासी डांगरथल तह0 निवाई जिला–टोंक
3–सोनू पुत्र ओमप्रकाश आयु 22 वर्ष निवासी डांगरथल तह0 निवाई जिला–टोंक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार निवाई जिला– टोक
2–मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला–जयपुर राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 2–11–2020 मिसल नम्बर 880/2020

उपस्थिति : (1) श्री श्याम सुन्दर विजय अपीलान्ट्स
(2) श्री सै0 मजहर आलम ,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट
(2) श्री महेश कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक 25–11–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 2–11–2020 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण को दोषी मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर फसल जप्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेंण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारान को पृथक–पृथक नोटिस नहीं दिया है जबकि धारा 91 के तहत सभी पक्षकारान को पृथक–पृथक नोटिस दिया जाना आज्ञापक है, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जिसके आधर पर अपीलान्ट्स खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस कारण अपीलान्ट्स को बेदखल करने की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये फसल नीलामी का एक तरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी एंव कब्जे शुदा भमि के समीपस्थ है जिस पर अपीलान्ट्स व उसके चाचा रेस्पो0 सं0 2 के मध्य मेड का विवाद है इस कारण उक्त कार्यवाही मिलकर करवाई गयी है जो पूर्णतया अवैध है ओर निरस्तनीय है। हल्का पटवारी ने रंजिशवश व दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की है तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट्स को जिरह का अवसर नहीं दिया ओर उस रिपोर्ट को आधार बना कर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपील का निर्णय एकतरफा में पारित किये जाने पर अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 5–2–2021 को जब रेस्पोडेण्ट सं0 2 मौके पर राजस्व कर्मचारियों /अधिकारियों को लेकर गया ओर जबरन बिना किसी वैध अधिकार के अपीलान्ट्स की फसल को नुकसान कारित कर नीलाम करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए पोल उखाडने पर हुई, जिस पर अपीन्ट्स ने मना किया तो रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल अपीलान्ट्स को दिखाई जिस पर अपीलान्ट्स ने उक्त आदेश की नकल प्राप्ति हेतु 10–2–2021 को आवेदन पेश किया ओर दिनांक 12–2–2021 को नकल प्राप्त कर जानकारी के अन्दर मियाद अपील करने में देरी को कण्डोन करने के लिए मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के साथ पेश कर रहा है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलानट्स ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर फसल नीलामी के आदेश पारित करना अपील मीमो में अंकित किया है, जबकि विवादित खसरा नम्बर की भूमि पर अपीलान्ट्स ने 7 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा किया है। जिसकी नीलामी दिनांक 8–1–2021 को पूर्ण की जाकर 261000/रूपये में की जाकर फसल रेस्पोडेण्ड सं0 2 मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला–जयपुर के नाम बोली छोड़ी जा चुकी है। बोली नियमानुसार लगाई जाकर अधिकतक बोलीदाता के व्यक्ति को फसल संभलायी जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

रेस्पोडेण्ट सं0 2 के अभिभाषक ने राजकीय पेशकार की बहस का समर्थन किया एंव निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] उक्त आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है, हमारे द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण राशि [illegible] फसल सुपुर्दगी में ले ली गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स का [illegible] से कब्जा हटा दिया है किन्तु वह एकतरफा में उक्त आदेश की [illegible] क्षति पहूंचने तथा भूमि पर पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:40 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

कब्जा करने को अमादा हो रहा है। अतः प्रकरण का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट्स ने आराजी खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण को दोषी मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर फसल जप्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश पारित किये हैं। जिसकी पालना में फसल की नीलामी प्रकिया दिनांक 8–1–2021 को पूर्ण कर 261000/रूपये में अन्तिम बोलीदाता रेस्पोडेण्ट सं0 2 मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला–जयपुर के नाम बोली छोड़ी जा चुकी है। नीलामी की कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा मौके पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही गवाहान के समक्ष विधिवत रूप से की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्ट्स राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 2–11–2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर न्यायालय टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:40 IST
Reason: SelfAttested